



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23092021-229906  
CG-DL-E-23092021-229906

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3618]  
No. 3618]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 23, 2021/आश्विन 1, 1943  
NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 23, 2021/ASVINA 1, 1943

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 सितम्बर, 2021

**का.आ. 3952(अ).**—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 1 अक्टूबर, 2021 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम के उपबंध त्रिपुरा राज्य के धलाई, गोमती, उत्तर त्रिपुरा और सिपाहीजाला जिलों के सभी क्षेत्रों में प्रवृत्त होंगे अर्थात्,—

- (i) अध्याय 4 की धारा 38, धारा 39, धारा 40, धारा 41, धारा 42, धारा 43 और धारा 45अ से धारा 45ज तक;
- (ii) अध्याय 5 की धारा 46 से धारा 73 तक; और
- (iii) अध्याय 6 की धारा 74, धारा 75, धारा 76 की उपधारा (2) से उपधारा (4) तक, धारा 80, धारा 82 और धारा 83।

[फा. सं. एस-38013/07/2021-एस.एस.1]

विभा भल्ला, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT****NOTIFICATION**

New Delhi, the 23rd September, 2021

**S.O. 3952(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby appoints the **1<sup>st</sup> day of October, 2021**, as the date on which the provisions of the said Act, namely,-

- (i) sections 38, 39, 40, 41, 42, 43 and sections 45A to 45H of Chapter IV;
- (ii) sections 46 to 73 of Chapter V; and
- (iii) sections 74, 75, sub-sections (2) to (4) of section 76, 80, 82 and 83 of Chapter VI,

shall come into force in all the areas of Dhalai, Gomati, North Tripura and Sepahijala district, in the State of Tripura.

[F. No. S-38013/07/2021-SS.I]

VIBHA BHALLA, Jt. Secy.